

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025—भाद्र 27, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ ए 3-43/2017/1/पांच(29) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43/2017/1/ पांच/(55) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-43-2017-1-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-43-2017-1-पांच (29), दिनांक 18 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2025

No. F A 3-43/2017/1/V(29) : In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A 3-43/2017/1/V(55) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.